कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, घनसाली, मुख्यालय–घुमेटीधार
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER,
TEMPORARY DIVISION, PUBLIC WORK DEPARTMENT, GHANSALI,
HEAD QUARTER-GHUMETIDHAR

उत्तराखण्ड शासन

P.O. Pilkhi, Pin Code-249181
Website- http://pwd.uk.gov.in

Phone and Fax No. 01379-258327
E-Mail :-eepwdghansali@rediffmail.com

पत्रांक 1616 /10 स्म०वन   दिनांक–18/11/2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी।

विषयः– जनपद–टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड–भिलंगना में बालगंगा नदी एवं भिलंगना नदी के संगम पर बालगंगा महाविद्यालय को जोड़ने हेतु स्टील गर्डर सेतु एवं एप्रोच मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.085 हे0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में। (FP/UK/ROAD/47739/2020)

सन्दर्भः– कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी के द्वारा दिनांक–12.11.2024 को परिवेश पोर्टल पर लगाई गई आपत्तियों के संम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि प्रश्नगत परियोजना के वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पर लगायी गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

18/11/24

(इं0 डी0 सी0 नौटियाल)
अधिशासी अभियन्ता,
अ0ख0,लो0नि0वि0,घनसाली,
मुख्यालय–घुमेटीधार।

पत्रांकः– /   तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– 01. वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त उत्तराखण्ड़, मुनिकीरेती को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
अ0ख0,लो0नि0वि0,घनसाली,
मुख्यालय–घुमेटीधार।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, घनसाली, मुख्यालय–घुमेटीधार
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER,
TEMPORARY DIVISION, PUBLIC WORK DEPARTMENT, GHANSALI,
HEAD QUARTER-GHUMETIDHAR

उत्तराखण्ड शासन

P.O. Pilkhi, Pin Code-249181
Website- http://pwd.uk.gov.in

Phone and Fax No. 01379-258327
E-Mail :-eepwdghansali@rediffmail.com

पत्रांक /

दिनांक–18/11/2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी।

विषयः– जनपद–टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड–भिलंगना में बालगंगा नदी एवं भिलंगना नदी के संगम पर बालगंगा महाविद्यालय को जोड़ने हेतु स्टील गर्डर सेतु एवं एप्रोच मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.085 हे0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में।(FP/UK/ROAD/47739/2020)

सन्दर्भः– कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी के द्वारा दिनांक–12.11.2024 को परिवेश पोर्टल पर लगाई गई आपत्तियों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि प्रश्नगत परियोजना के वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पर लगायी गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

(इं0 डी0 सी0 नौटियाल)
अधिशासी अभियन्ता,
अ0ख0,लो0नि0वि0,घनसाली,
मुख्यालय–घुमेटीधार।

पत्रांकः–1616 /10 एमजी तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– 01. वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त उत्तराखण्ड़, मुनिकीरेती को सूचनार्थ प्रेषित।

18/11/24

अधिशासी अभियन्ता,
अ0ख0,लो0नि0वि0,घनसाली,
मुख्यालय–घुमेटीधार।

FP/UK/ROAD/47739/2020

क्र0सं0	आपत्ति	निराकरण
1	विषय सूची में पृष्ठ संख्या अंकित नहीं हैं।	पृष्ठों की संख्या क्रमबद्ध अंकित कर दी गयी है।
2	उपजिलाधिकारी स्तरीय संयुक्त निरीक्षण आख्या, प्रारूप–6 में उपजिलाधिकारी एवं उप प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर अपेक्षित है।	इस खण्ड़ क्रमांक में त्रुटियों को पूर्ण कर दिया गया है।
3	आपके द्वारा चस्पा संयुक्त निरीक्षण में 108 वृक्षों का प्रभावित होने का उल्लेख किया गया है, जबकि प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना सूची में 163 वृक्ष प्रभावित हो रहे है, कृपया स्पष्ट करें।	इस खण्ड़ क्रमांक में संयुक्त निरीक्षण में सुधार कर दिया गया है।
4	प्रभावित होने वाले वृक्षों का सारांश प्रारुप 21 में वृक्षों की संख्या 64 दर्शायी गयी है, जबकि अन्य प्रपत्रों में वृक्षों की संख्या 163 दर्शायी गयी है।	इस खण्ड़ क्रमांक में प्रारूप–21 में 0–10 व्यास के पेड़ों की संख्या का कॉलम नहीं है इसी वजह से '' 10–20 से लेकर 90 से अधिक'' व्यास वाले वृक्षों की संख्या दर्शायी गई है। जो कि 64 है। इस प्रकार कुल 163 वृक्ष हैं, जिसमें 0 से 10 के बीच में 99 वृक्ष आ रहे हैं।
5	प्रारुप–22, बांज वृक्षों के प्रमाण पत्र में अद्योहस्ताक्षरी का निरीक्षण हेतु सूचना प्रेषित नही की गई है। कृपया स्पष्ट करें।	इस खण्ड़ क्रमांक में प्रमाण पत्र को अधोहस्ताक्षरी द्वारा निरीक्षित कर दिया गया है।
6	प्रारुप–25, राष्ट्रीय पार्क /वन्य जीव अभ्यारण से हवाई दूरी का प्रमाण पत्र मुख्य वन संरक्षक अनुश्रवण, मूल्याकंन एंव आई0टी0 सेल, उत्तराखण्ड, देहरादून से प्राप्त कर तदानुसार प्रारुप–25 में हवाई दूरी का आकलन चस्पा करें।	इस खण्ड़ क्रमांक हवाई दूरी को प्रमाण पत्र के साथ–साथ डीएसएस की दूरी की छायाप्रति भी संलग्न की जा रही है।
7	प्रारुप–30, जिलास्तरीय समिति में स्थान तथा दिनांक अकिंत नही की गयी है।	इस खण्ड़ क्रमांक में त्रुटियों को पूर्ण कर दिया गया है।
8	प्रारुप–30.1, उपखण्ड स्तरीय समिति में उप प्रभागीय वनाधिकारी का नाम, पत्रांक ,दिनांक एंव समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर अकिंत नही किया गया है।	इस खण्ड़ क्रमांक में त्रुटियों को पूर्ण कर दिया गया है।
9	क्षतिपूरक नवीनीकरण के जी0आई0एस0 मानचित्र में राजस्व विभाग के हस्ताक्षर अपेक्षित है।	इस खण्ड़ क्रमांक में त्रुटियों को पूर्ण कर दिया गया है।

10	प्रभावित क्षेत्रों में पर्यवरणीय सुधारीकरण / पुनर्जनन हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पंत्राक–FC/11/43/2021-FC दिनांक–16.01.2023 के अनुसार प्रस्ताव के रैखिक होने के फलस्वरुप परियोजना लागत का 2 प्रतिशत का वन्यजीव मिटीगेशन प्लान एवं 0.5 प्रतिशत का मृदा एवं जल संरक्षण प्लान उपलब्ध कराया जायेगा तथा सहायतित प्राकृतिक किये जायेगें।	इस आशय का प्रमाणपत्र / शपथपत्र दिनांक–04.10.2024 तथा पुनः दिनांक–08.11.2024 को इस कार्यालय के पत्रांक–1593 / 10 एम0जी0, दि0–08.11.2024 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी को प्रेषित कर दिया गया है। तथा वन क्षेत्राधिकारी, भिलंगना राजि, घनसाली के पत्रांक सं0–328 / 14.11.2024 द्वारा मिटीगेशन प्लान एवं जल संरक्षण प्लान प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग,नई टिहरी को प्रेषित कर दिया गया है।
11	प्रमुख वन संरक्षण, (HOFF), उत्तराखण्ड, देहरादून का पंत्राक–612 / 26–1 देहरादून, दिनांक–06.12.2023 से जारी निर्देशों के अनुपालन में वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में मलबे के निस्तारण हेतु समस्त तकनीकि एवं जैविक /वानस्पतिक मानको को सम्मिलित करते हुये तर्कसंगत विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जानी है, जिसमें वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में वर्णित ''मलवा निस्तारण प्लान'' इस प्रकार बनाये जाये कि भविष्य में यह स्थल एक Utility spot के रुप में भी विकसित किया जा सके। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाये कि किसी भी स्थिति में यह मलवा एक Sliding Zone मे ंना परिवर्तित हो और ना ही यह नीचे बहने वाली नदी–नालों में जाये।	आपके कार्यालय द्वारा अपेक्षित है।
12	एन0पी0वी0 का आंकलन त्रुटिपूर्ण है। कृपया संशोधित आंकलन चस्पा करें।	आपके कार्यालय द्वारा अपेक्षित है।
13	वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में चस्पा प्रपत्रों को प्रारुपवार चस्पा किया जायें।	इस खण्ड़ क्रमांक में त्रुटियों को पूर्ण कर दिया गया है।

18/11/24

अधिशासी अभियन्ता,
अ0ख0, लो0नि0वि0, घनसाली।

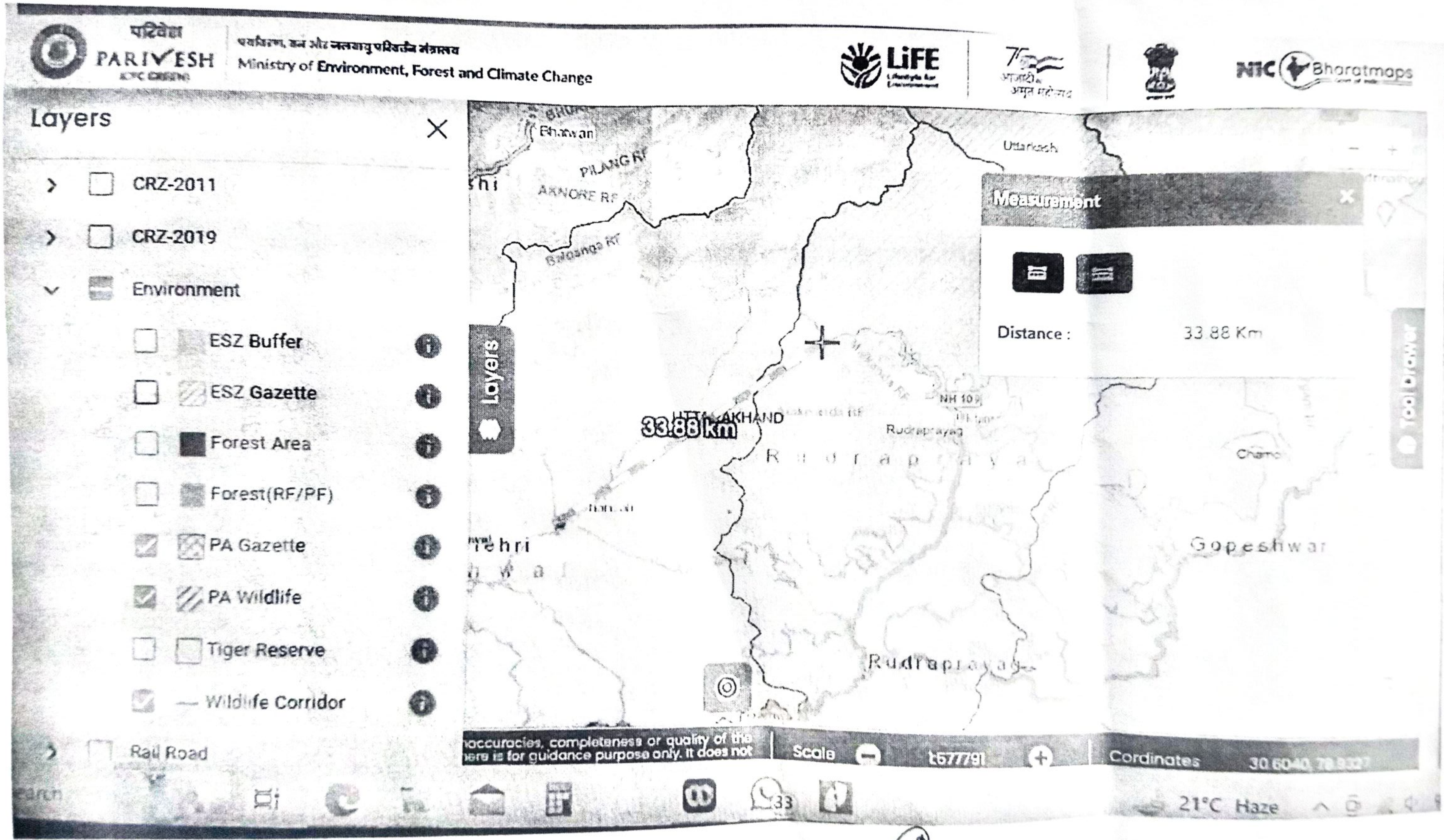

T.D.P.W.O
Ghansali

अधिशासी अभियन्ता
अ०ख०, लो०नि०वि०, घनसाली,
मुख्यालय-घनसाली